रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(DR)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 1974/भाद्र 7, 1896
No. 371] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 1974/BHADRA 7, 1896

Secretariat Library 1974 Govt. of India

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 29th August 1974

S.O. 513(E)/15/IDRA/74.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 551(E)/15/IDRA/73, dated the 17th October, 1973, namely:—

In the fourth paragraph of the said Order, for the words "Twelve weeks", the words 'upto the 31st August, 1974," shall be substituted.

[No. F. 2/13/73-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1974

का० आ० 513 (अ)/15/आई डी आर ए/74.— केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 551 (ई)/15/आई डी आर ए/73, तारीख 17 अक्टूबर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के चतुर्थ पैरा में, "बारह सप्ताह" शब्दों के स्थान पर, "31 अगस्त, 1974 तक" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० फा० 2/13/73-सी यू सी]
डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।